संख्याः 2–4/2020 ई0एक्स0एन0एच0स्थापना–
आबकारी एवं कराधान विभाग
हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला–171009 2021

कार्यालय आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः पीईआर(एपी)सी–बी(2)–1/2014 वाल्यूं–II दिनांक 30.03.2021 की अनुपालना में विभागीय जांच समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिन्होने दिनांक 31.03.2021 को दैनिक वेतन भोगी आधार पर पांच (05) वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, को निम्नवर्णित नियम व शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आधार पर सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने की तिथि से वेतनमान रू0 4900–10680 +1300 ग्रेड पे के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन रू0 6200 (4900+1300 ग्रेड पे व अन्य देय भते) में चौकीदार के पद पर नियमित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पता	कर्मचारी की जन्म तिथि	दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्ति की तिथि	कर्मचारी वर्तमान में जहां कार्यरत है	नियमितिकरण उपरान्त तैनाती का स्थान
1.	श्रीमती बर्खा देवी	पत्नी श्री जसबिंदर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस–1सपरून, सपरून, सोलन, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173211	11.09.1977	04.03.2016	कार्यालय उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला सोलन	कार्यालय उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला सोलन।
2.	श्री हेम राज,	पुत्र श्री सन्त चरण, गांव व डाकघर सलोह उपरला, तहसील ईशपुर, जिला ऊना।	01.11.1983	04.03.2016	कार्यालय संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,उ0द0 म0क्षे0 ऊना ,	कार्यालय उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला हमीरपुर।
3.	श्री राजेश कुमार	पुत्र श्री हरि पॉल, गांव व डाकघर देहला, जिला ऊना।	01.11.1986	04.03.2016	कार्यालय उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,जिला ऊना	कार्यालय उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला बिलासपुर।

दैनिक वेतन भोगी से नियमित किये गये उपरोक्त चौकीदारों के सन्दर्भ में निम्न नियम व शर्ते लागू होंगी:–

1. चौकीदार के पद पर यह नियुक्ति अस्थाई है।
2. यद्यपि उक्त कर्मचारियों का नियमतीकरण चौकीदार के रिक्त पदों के विरूद्ध किया जा रहा है तथापि विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें चतुर्थ श्रेणी के अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु भी तैनात किया जा सकता है तथा उक्त वर्णित कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी का काम भी आबन्टित किया जा सकता है।
3. कर्मचारी को सरकारी सेवा से एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताये पदच्युत किया जा सकता है। यह नोटिस सरकार तथा कर्मचारी किसी भी पक्ष द्वारा दिया जा सकता है।
4. नियुक्ति करने वाले प्रधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उसकी सेवाओं को एक मास का वेतन भत्तों के समान राशि देकर भी समाप्त कर सकता है।
5. कर्मचारी को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करनी होगी।

6. कर्मचारी को यह शपथ ग्रहण करनी होगी कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता व ईमानदारी से करेंगे तथा भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ रहेंगे।

7. कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।

8. कर्मचारी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मूल रूप में उपस्थिति सूचना के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

9. कर्मचारी यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि यदि वह विवाहित है तो उसकी केवल एक ही पत्नी/पति है।

10. कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी से अपनी स्वस्थता संबंधि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा तदोपरांत ही उनकी उपस्थिति ली जाएगी।

11. कर्मचारी की नियुक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत के सत्यापन पर निर्भर करेगी।

12. कर्मचारी किन्ही दो राजपत्रित अधिकारियों से जो उन्हे लगभग तीन वर्ष से जानते हों से अपने अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेंगे।

13. यदि कर्मचारी आरक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तो वह इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यदि उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव उम्मीदवारों को स्वीकार्य हो तो उसे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर–2 अपनी उपस्थिति सूचना उपरोक्त तालिका में उम्मीदवार के नाम के विरूद्ध दर्शाए गए कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

यूनुस(भा0प्र0से0)
आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
हिमाचल प्रदेश।
दूरभाष न0–2621835

पृष्ठांकन संख्या:2–4/2020 ई0एक्स0एन0एच–स्थापना– 33688-701 दिनांक 16-11-2021

प्रतिलिपि:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) को उनके पत्र संख्या: पीईआर(एपी)सी–बी(2)–1/2014 वॉल्यू–II दिनांक 30.03.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) हि0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) शिमला–03 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी (उ0द0)(म0क्षे0) जिला ऊना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
5. उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला सोलन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
6. उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला ऊना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
7. उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
8. उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी जिला सोलन व ऊना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।
10. श्रीमती बर्खा देवी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, कार्यालय उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला सोलन को अनुपालना हेतु प्रेषित है।
11. श्री हेम राज, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, कायालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (उ0द0)(म0क्षे0) जिला ऊना को अनुपालना हेतु प्रेषित है।
12. श्री राजेश कुमार, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, कार्यालय उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला ऊना को अनुपालना हेतु प्रेषित है।
13. आई0टी0 शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि यह कार्यालय आदेश शीघ्र विभागीय साईट पर अपलोड किया जाए।
14. गार्ड फाईल।

यूनुस(भा0प्र0से0)
आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
हिमाचल प्रदेश।
दूरभाष न0–2621835